



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास में 06 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व ₹30,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 956/2006 (एफआईआर नं०-214/2006) धारा-147,148,307 भा०द०सं० व 10/12 दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधि० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 06 अभियुक्त 1.हनीफ उर्फ गनी पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ लोटन नि० कपरिया मोहाल कस्बा व थाना सुमेरपुर 2.पीर अली पुत्र रज्जाक अली नि० पल्हरी थाना नरैनी जनपद बांदा 3.लाला पुत्र सत्तार नि० मेता थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर 4.दहू उर्फ सफी मोहम्मद पुत्र गुलाब उर्फ मोतिया नि० कैथोखर थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म०प्र० 5.नत्थू पुत्र कल्लू नि० स्टेशन रोड मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर हालपता जजराहा थाना ललौली फतेहपुर 6.रमजानी पुत्र नत्थू नि० स्टेशन रोड मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर हालपता जजराहा थाना ललौली फतेहपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष के कारावास व ₹30,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री अशोक
कुमार शुक्ला



विवेचक-
एसओ शशीन्द्र
प्रसाद शुक्ला



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह